लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(40)

प्रेषक :-

अधिशासी अभियंता, मानचित्र सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 112/AA मानचित्र सेल
दिनांक 21-3-2017

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम, लखनऊ।

नत्थी:

--: विषय :--

नगर निगम द्वारा खसरा सं0-1650ख, 1686स, 1686, 1704, 1706, 1709ख, 1711, 1713ख, 1707, 1013 ग्राम-औरंगाबाद खालसा, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ निकट ओमेक्स सिटी पर प्रस्तावित समूह आवास एवं तलपट मानचित्र के मानचित्र के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निर्माण सम्बन्धी मानचित्र प्राधिकरण में दिनांक 28.06.2016 को प्रस्तुत किया गया है। तत्क्रम में प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव को तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2016 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त समिति के सदस्यों की संस्तुति के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 के अन्तर्गत निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनापत्ति जारी किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

प्रतिबन्ध :-

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. एयरपोर्ट एथारिटी द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2017 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण एवं यूनिटों के आधार पर मौके पर कार पार्किंग स्पेस आवेदक को आरक्षित करना अनिवार्य है। मानचित्र में दर्शित सेटबैक्स को सदा अवरोध रहित रखा जायेगा, सेटबैक्स में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अनुमन्य नहीं होगा।
4. प्रदान की गयी अनापत्ति का सम्बन्ध प्रस्तावित निर्माण के किसी भी स्पेशिफिकेशन, फाउण्डेशन एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन तथा सेफ्टी से नहीं है।
5. भविष्य में यदि कोई देयता निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
6. शासनादेश के क्रम में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
8. निर्माण अवधि में लेबर एक्ट तथा नेशनल सेफ्टी काउन्सिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. मौके पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु जलाशय/तालाब का निर्माण परिसर में कराना अनिवार्य है एवं सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली स्थापित करना होगा।
10. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

11. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत भूकम्परोधी शासनादेश उल्लिखित प्राविधान के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य कराया जायेगा। इस सम्बन्ध प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन मे आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबंध सुनिश्चित करना होगा।

13. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।

14. प्रश्नगत निर्माण हेतु वांछित विभागों की अनापत्ति आवेदक/विकासकर्ता को अपने स्तर से प्राप्त करना होगा।

15. सीवेज निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 के निर्माण एवं पानी, बिजली आदि के संयोजन का उत्तरदायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।

16. भूस्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन आप द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत ड्राइंग/मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य कराये जाने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

21/2

अधिशासी अभियंता
मानचित्र सेल

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव महोदया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
मानचित्र सेल

Scanned with CamScanner